

पत्र संख्या : 7 वि.शा./विधि-12-42/2019 ज.सं.- 289

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/हजारीबाग/ईचा-गालूडीह
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 18/3/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभागान्तर्गत न्यायालयवाद/विवाचनवाद से संबंधित विभिन्न मामलों में नियुक्त विवाचक एवं पैरवी कर रहे अधिवक्ता के शुल्क, न्याय निर्णय के अनुपालन में धादी को भुगतान करने एवं अन्य विधि शुल्को के भुगतान हेतु रु. 91.60 लाख (एकानबे लाख साठ हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या-11/2020-21 प्र०स्वी०, दिनांक-22.01.2021 Online AA-1545/25.01.2021 महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड | आवंटित राशि (राशि लाख में) |
|------|---|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80- सामान्य | 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग/75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन | 06-अनुदान/ 49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 49S470180796750649 | 48.86 |
| 2. | 49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80- सामान्य | 001-निर्देशन तथा प्रशासन / 75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन | 06-अनुदान/ 49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 49S470180001750649 | 42.74 |
| | | | | 91.60 |

आवंटित राशि - एकानबे लाख साठ हजार मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध विपत्र कोड-49S470180796750649 ₹ 250.00 लाख (₹ दो करोड़ पचास लाख) एवं विपत्र कोड- 49S470180001750649 ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दारा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


18/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 289

राँची, दिनांक :- 18/3/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/हजारीबाग/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



18/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव


ज्ञापांक :- 289

राँची, दिनांक :- 18/3/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


18/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक..... 289

दिनांक 18/3/21

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिधाय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष-796-जल-जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,
उप शीर्ष-75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,
06-अनुदान, 49 आर्थिक सहायता विपन्न कोड - 49S470180796750649
वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध राशि रु. 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. | प्रमंडल का नाम | मुख्य अभियंता | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति का | | मार्च 2020 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन | योजना पर कुल अग्रतन आवंटन (7+10) | On-line Allotment Access No. | अप्रयुक्ति |
|------|---------------------------------------|---------------|---|---|--------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | प्रस्ताव | राशि | | | | | | | |
| 1 | जलपथ प्रमंडल सं-1, सिमडेगा (SDGIR001) | साँची | जल संसाधन विभागान्तर्गत न्यायालयवाद/विवादानुसार से संबंधित विभिन्न मामलों में नियुक्त विवादक एवं पैरवी कर रहे अधिवक्ता के शुल्क, न्याय निर्णय के अनुपालन में वादी को भुगतान करने एवं अन्य विधि शुल्कों के भुगतान हेतु | 11/2020-21 प्र.सं. दिनांक-22.01.2021 Online AA- 1545/25.01.2021 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 86992 | Arbitration Case No-08/2016 MS. J.K. Construction Vt. Jharkhand State and Others (Agreement No-100F2/1987-88) |
| 2 | सिंचाई प्रमंडल-गालूडीह (JSRIRR104) | गालूडीह | | | | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 86995 | Arbitration Appeal No-02/2019 (LCB-3) & Arbitration Appeal No-03/2019 (LCB-4) |
| | | | | | | योग | 0.00 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | | |

आवंटित राशि - ₹ अड़तालीस लाख छियासी हजार मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन

उप शीर्ष-75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,

विरस्तुत शीर्ष-06-अनुदान / 49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 49S470180001750649

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध राशि रु. 200.00 लाख (दो करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. | प्रमंडल का नाम | मुख्य अभियंता | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति का | | मार्च 2020 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन | | | योजना पर कुल अखण्ड आवंटन (7+10) | On-line Allotment Access No. | अभियंता |
|------|-----------------------------------|---------------|---|--|--------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | प्रस्ताव | राशि | | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन | | | |
| 1 | जलपथ प्रमंडल, बरही (HZBIR017) | हजारीबाग | जल संसाधन विभागान्वरित न्यायालयवाद/विवादान्वरित से संबंधित विभिन्न मामलों में नियुक्त विवादक एवं पेशी कर रहे अधिवक्ता के शुल्क, न्याय निर्णय के अनुपालन में वादी को भुगतान करने एवं अन्य विधि शुल्को के भुगतान हेतु | 11/2020-21 प्रोसी०, दिनांक-22.01.2021 Online AA- 1545/25.01.2021 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 86996 | Arbitration Appeal No-38/2017 Vijeta Project Vr Jharhand State and Others |
| 2 | जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIR008) | हजारीबाग | | | | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 86999 | Arbitration Appeal No-32/2017 Vijeta Project Vr Jharhand State and Others |
| 3 | सिंचाई प्रमंडल-गालूडीह (JSRIR104) | गालूडीह | | | | 0.00 | 0.00 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 87000 | Arbitration Appeal No-02/2019 (LCB-3) & Arbitration Appeal No-03/2019 (LCB-4) |
| योग | | | | | | | 0.00 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | | |

आवंटित राशि - ₹ बयालीस लाख चौहत्तर हजार मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)

सचिव